अपील सूचना का अधिकार संख्या 84/2021 (GCMS 2021/128)(आईटीआई पोर्टल नं. 212812020303843) नेतराम पुत्र जयमलराम जाति जाट निवासी गांव सरदारपुरा जीवन, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज. (मोबाईल नं. 9982060018) बनाम तहसीलदार, राजस्व एवं लोक सूचना अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

27.09.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नेतराम स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी नेतराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दिनांक 16.06.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर से एक बिन्दु की सूचना चाही थी किन्तु तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर ने उसे समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। इसलिए अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2021 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर से निम्न सूचना चाही थी:

> न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर द्वारा व अनवानी प्रकरण सरकार बनाम कालूराम में वादाधिन कृषि भूमि वाके चक 4 एसपीएम में 33.03 बीघा की निलामी बोली करवाये जाने के बाद शेष राशि 3/4 कब भरवाई गई? कृपया राशि भरवाई जाने की दिनांक सहित राशि जमा करवाने वाले का नाम, पिता का नाम, सहित राशि भरवाने सम्बन्धी प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि सूचना प्रदान करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:12:22 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार, सादुलशहर ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/1172 दिनांक 08.09.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री नेतराम द्वारा सूचना के तहत प्रस्तुत अपील व आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2021 में चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक :राजस्व/2021/1112 दिनांक 13.08.2021 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी के पते पर भिजवा दी गई है। कोरोना व अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने के कारण प्रार्थी को सूचना भिजवाने में विलम्ब हुआ है। चूंकि वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः श्रीमान् जी निवेदन है कि अपील को खारिज करने का श्रम फरमावें। अपील का जवाब श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न : 1. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1112 की प्रति।
2. रसीद की प्रमाणित प्रति।

-sd-
(हरीश टाक)
तहसीलदार (राजस्व)
सादुलशहर

तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर ने अपने पत्रांक राजस्व/2021/ 1112 दिनांक 13.08.2004 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के संदर्भ में आप द्वारा चाही गई सूचनाका अधिकार अन्तर्गत सूचना की प्रमाणित प्रति पत्र के संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
सादुलशहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:12:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:12:22 IST
Reason: SelfAttested